राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

छीतरमल बनाम गुल्ला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/2025	2/6/2012 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/05/2012 पारित करते हुये प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होना धारित करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का प्रथमदृष्टया समुचित विवेचन/विश्लेषण करते हुये विधिक प्रावधानों के अनुरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ के अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है एवं रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार है, जिनको उनके खाते की आराजीयात के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से वंचित किया जाना विधिसम्मत जाहिर नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/05/2012 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	